छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 543/2007</u>

1. कु0 मनीषा दुबे, -
अपीलार्थी
हाल मुकाम- सरकारी स्कूल रोड़,
वार्ड नंबर-39, कौरिनभाठा,
जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रति अपीलार्थी
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
(क्यू0डी0) सी0आई0डी0 पुलिस,
पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 17 अगस्त, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 19.12.2006 को अपनी पदोन्नति के संबंध में दिये गये अभ्यावेदन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने पर दिनांक 22.01.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील पर निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 01.06.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रति अपीलार्थी द्वारा यह बताया गया है कि उनके द्वारा प्रशासन शाखा एवं अपराध अन्वेषण शाखा के प्रभारी को जानकारी देने के लिए दिनांक 26.12.2006 को ही लिख दिया गया था और सी0आई0डी0 शाखा को छूट प्रदान करने के कारण जानकारी देना संभव नहीं बताया गया है, किन्तु बाद में प्रथम अपील में प्रशासन शाखा से संबंधित जानकारी होने के कारण अनके पत्र प्रशासन शाखा को लिखे गये । अत: इस प्रकरण जन सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, प्रशासन शाखा इस संबंध में विलंब के लिए

उत्तरदायी है । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, प्रशासन शाखा द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 04.08.2007 को उनके द्वारा चाही गई जानकारी प्रदान करा दी गई है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि यह जानकारी अपूर्ण है और उन्हें काफी विलंब से दी गई है । अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि जन सूचना अधिकारी, प्रशासन शाखा, पुलिस मुख्यालय को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उनसे संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण एक सप्ताह में कराया जावे और उनके द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान की जावे । प्रकरण में अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी दिये जाने के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 400/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त